(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 838–पीबीआर/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–5–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 93/03–04/अपील.

.....

मुनीराम पुत्र रघुनाथ
निवासी ग्राम बड़ागांव मजरा ककेटा
परगना व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–अमरलाल पुत्र कंचन
2–हजारी पुत्र कंचन
3–हुकुमसिंह पुत्र रतनलाल
निवासीगण बड़ागांव परगना व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि क्रमांक 17 पर दिनांक 24–12–1986 को आदेश पारित कर मृतक भूमिस्वामी कन्चन की भूमि पर वारिसान नाते अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक

द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–2–2003 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–5–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय कभी भी मृतक भूमिस्वामी कंचन को नहीं किया गया है और मात्र 1500/– रुपये में 12 बीघा 10 विस्वा भूमि क्रय करना व्यक्त किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है । यह भी कहा गया कि भूमि विक्रय दिनांक को आवेदक सरकारी दस्तावेजों में नाबालिग अंकित है, अतः नाबालिग की भूमि का हस्तान्तरण कानूनन नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि क्रेता द्वारा समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है और राजस्व अभिलेखों में हेरफेर किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा चालाकी पूर्वक प्रकरण दर्ज कराकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अपना नामान्तरण करा लिया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक होने से उसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध प्रकरण में अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय दिनांक को आवेदक नाबालिग था, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की

गई है । जहॉ तक आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जायेगा वह उभयपक्ष सहित राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी होगा । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर